

7/11
2

पञ्जाबकी प्रशासन गॉव केसंग अफियान 202
ग्राम पंचायत बैरका में पेशा हुई गाड़ी स्वयं
उपस्थित आये। उनकी पहचान ग्राम पंचायत
बैरका के सरपंच एवं पटवारी हल्का डारा की
गड़ी गाड़ी में एक प्राथमिक फर आदेश 23R
CPC पेश किया और निवेदन किया कि
वह अपना डाका आगे नहीं चलाना चाहता
है। उसका प्रतिपरीक्षण से शरीरगत हो चुका



अ.नि.
हरभजन

गरे इत
मिगु

६

पञ्चायती का अवलोकन किया गया
 वादी के कथनों का प्रमाण किया। प्रमाण
 आदेश 23 नियम। CPC में वादी ने जालेखी नाम
 से राजीनामा देना बताया है। सिविल
 प्रक्रिया संहिता की धारा आदेश 23 नियम
 1 के अन्तर्गत वादी किसी भी तरह पर
 अपना दावा विज्ञापित कर सकता है। इसलिए
 वादी को राजीनामा के आधार पर
 दावा विज्ञापित की अनुमति दिया जाना
 हम अविलंब उचित है।
 अतः आदेश है कि दावा वादी
 राजीनामा के आधार पर वादी को
 विज्ञापित करने की अनुमति प्रदान की
 जाती है। विज्ञापित के आधार पर दावा
 वादी द्वारा किया जाता है। पञ्चायती
 फौजदारी का एक शाखी दफ्तर है।

कैम्प प्रभाती (सप्लेण्ड अधिकारी)
 प्रशासन मंत्र के संग अमि-2021
 कैम्प प्राम सं. वर्दी
 पंचायत समिति व जिला धौलपुर